संचिका संख्या–15/औ० –01–29/2026– ...../स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय के पत्रांक–163, 12.06. 2026 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि दिनाक–27.05.2026 को प्रातः–03 00 बजे पुलिस प्रशासन लखीसराय द्वारा जब्त संदिग्ध वाहन (पिकअप वैन) में पायी गयी औषधियॉ की जॉच श्री दीपक द्वारा दो अन्य औषधि निरीक्षकों के सहायोग से किया गया। जॉच कार्य सम्पन्न होने के उपरांत श्री दीपक के द्वारा जॉच प्रतिवेदन न तो किसी वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया तथा न हीं नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की गयी। इस संबध में श्री दीपक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् रामगढचौक (लखीसराय) थाना में प्राथमिकी (संख्या–118/26, दिनाक–17.06 2026) भी दर्ज किया गया है।

इस सबध में सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय के द्वारा श्री दीपक के विरूद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

2. सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोपों के आलोक मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय अधिसूचना ज्ञापाक–602(15A), दिनांक–03 07.2026 द्वारा श्री दीपक को निलंबित किया गया एवं इनके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही सचालित किये जाने हेतु अलग से अधिसूचना निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

3 तत्पश्चात् विभागीय स्तर पर विहित प्रपत्र मे आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। अनुमोदनोपरात विभागीय पत्रांक–817(15A), दिनाक–12.08.2026 द्वारा ज्ञापन के माध्यम से आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नकों सहित श्री दीपक को प्रेषित करते हुए श्री दीपक से बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी। तदालोक में श्री दीपक द्वारा दिनाक–27.08.2026 को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

4. पूरे मामले की सम्यक् समीक्षा उपरान्त श्री दीपक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप अत्यंत गम्भीर प्रकृति के पाते हुए मामले की विस्तृत जॉच हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दीपक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

5. अत· अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के सगत प्रावधान के तहत् श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय उप औषधि नियत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध वृहद जॉच हेतु अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है। इस अनुशासनिक कार्यवाही मे श्री मनोज कुमार, सयुक्त सचिव–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री ललन कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक औषधि नियत्रक, लखीसराय सम्प्रति औषधि निरीक्षक, मधुबनी को सरकार का पक्ष रखने हेतु उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री दीपक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष स्वंय उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्पाल के आदेश से,
ह०/–
(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–01–29/2026–.....पटना/दिनांक–.....2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 सम्प्रति निलबित, मुख्यालय उप औषधि नियत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी प्रभारी प्रशाखा–15A/ उप औषधि नियत्रक, तरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर एंव आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2178, दिनांक–28.02.2007 के आलोक में उक्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संपादन कर जॉच प्रतिवेदन (मतव्य सहित) शीघ्र विभाग को भेजना सुनिश्चत करेगें।

3 श्री ललन कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय सम्प्रति औषधि निरीक्षक, मधुबनी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(6) मे विनिर्दिष्ट दस्तावेज।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–01–29/2026– 1215 (15A) **पटना/दिनांक–** 29/10/ **2026**

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एव उप औषधि नियंत्रक, तरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति की तामिला श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

29/10/26

सरकार के विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।